भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1162

11.02.2025 को उत्तर के लिए नियत

एनएमडीसी के कामकाज में पारदर्शिता

1162. **श्री संजय हरिभाऊ जाधव**:

श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपने कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का सभी अधिकारियों के मोबाइल नंबर, कार्यालय फोन नंबर और ई-मेल पता को सरकार या संबंधित उपक्रमों की वेबसाइटों पर अपलोड करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनएमडीसी मुख्यालय के अधिकारियों/अनुसंधान और विकास अधिकारियों के मोबाइल नंबर और ई-मेल पता को वेबसाइट पर अपलोड न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या यह सच है कि एनएमडीसी में कार्यरत किसी भी अधिकारी द्वारा लैंडलाइन कॉल का जवाब नहीं दिया जा रहा है;

(छ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर तत्काल क्या कार्रवाई की गई है; और

(झ) इस संबंध में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उचित कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख) : प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सूचित किया है कि भारत सरकार ने दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित किया है जैसे आधार समर्थित बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), पेंशन मंजूरी और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली (भविष्य), केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस), सार्वजनिक वित्तीय

प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), सरकारी ई-बाजार (जीईएम), विदेश यात्रा प्रबंधन प्रणाली (एफवीएमएस), स्मार्ट कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकार्डिंग ऑनलाइन विंडो (एसपीएआरआरओआर), ई-अवकाश प्रबंधन प्रणाली, कर्मचारी मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस), ई-कार्यालय आदि ।

(ग) से (घ): इस्पात मंत्रालय ने सूचित किया है कि एनएमडीसी हितधारकों के साथ संचार सुविधा के लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर आधिकारिक लैंडलाइन नंबर और ईमेल आईडी सहित प्रमुख अधिकारियों के संपर्क विवरण प्रकाशित करता है। डेटा सुरक्षा बनाए रखने, दुरुपयोग को रोकने और गोपनीयता नियमों का पालन करने के लिए अधिकारियों के मोबाइल नंबर कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाते हैं।

(ङ): इस्पात मंत्रालय ने सूचित किया है कि एनएमडीसी यह सुनिश्चित करता है कि आधिकारिक लैंडलाइन नंबर कार्य कर रहे हैं और कंपनी के कार्य घंटों के दौरान कॉल पर निरपवाद रूप से ध्यान दिया जाता है।

(च) और (छ): इस्पात मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ज) इस्पात मंत्रालय ने सूचित किया है कि एनएमडीसी ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय कार्यान्वित किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कॉर्पोरेट गवर्नेंस**: एनएमडीसी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करता है, जो वित्तीय निष्पादन, बोर्ड निर्णयों और जोखिम प्रबंधन से संबंधित प्रकटीकरण को सुनिश्चित करता है।
- **सार्वजनिक प्रकटीकरण:** वित्तीय परिणाम, परियोजना अद्यतन और प्रमुख नीतिगत निर्णय एनएमडीसी की वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।
- **सीएसआर पहल:** एनएमडीसी की सीएसआर गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें व्यय, परियोजनाओं और प्रभाव आकलन के विवरण वार्षिक रिपोर्टों और सार्वजनिक प्रकटनों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।
- परियोजना स्थलों **पर नियमित सार्वजनिक परामर्श और हितधारक बैठकें।**
- जनता के साथ बेहतर संचार के लिए **सोशल मीडिया और डिजिटल आउटरीच।**

******